

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी/1994- III/ 1741

दिनांक:- 05-01-24

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।

विषय :- तृतीय एसीपी प्रकरणों में कमी पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित कमियाँ पाई गई हैं:-

क्र.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/ बैच सं.	आक्षेप का विवरण
1.	सुरेश चन्द मीणा	549/92	कार्मिक विभाग में संयुक्त जाचं लम्बित है।
2.	मुरारी लाल मीणा	195/92R	एपीएआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2017-18 से 2019-20 अप्राप्त।
3.	नारायण लाल पालीवाल	126/94	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2017-18 से 2019-20 अप्राप्त।
4.	विनोद कुमार स्वामी	488/94	एपीएआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2017-18, 2018-19 एवं 2021-22 अप्राप्त। द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है।
5.	शिवदयाल मीणा	543/94	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं है। द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है एपीएआर 2016-17, 2017-18, 2020-21 एवं 2021-22 अप्राप्त।
6.	हरकेश मीना	580/94	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2014-15 से 2022-23 अप्राप्त।

उक्त तालिका में अंकित बकाया एपीएआर निदेशालय में शीघ्र प्रेषित करावें एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करावें, जिससे तृतीय एसीपी के प्रकरणों को स्वीकृत किया जा सके।

संलग्न:-निर्धारित प्रपत्र


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)